

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	चैत्र 11, शुक्रवार, शाके 1933—अप्रैल 1, 2011 <i>Chaitra 11, Friday, Saka 1933—April 1, 2011</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 2011

No. F. 2(6) Vidhi/2/2011.—The Following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 31st day of March, 2011 is hereby published for general information:-

**THE RAJASTHAN LAND REFORMS AND RESUMPTION
OF JAGIRS (AMENDMENT) ACT, 2011**

(Act No. 12 of 2011)

(Received the assent of the Governor on the 31st day of March 2011)

An

Act

further to amend the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 6 of 1952.— For the existing section 19 of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952 (Act No. 6 of 1952), the following shall be substituted, namely:—

“**19. Land to be allotted as Khudkasht.**— Only the land situated within Stage-II of the Indira Gandhi Nahar Pariyojana shall be allotted as Khudkasht under this Chapter.”.

सत्य देव टाक,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 1, 2011

संख्या प. 2 (6)/विधि/2/2011.—राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में “दी राजस्थान लैंड रिफार्म्स एन्ड रिजम्पशन आफ जागीर्स (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2011 (एक्ट नं. 12 ऑफ 2011)” का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन)

अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 12)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई)

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1952 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 19 का संशोधन.-राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं. 6) की विद्यमान धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“19. खुदकाशत के रूप में आबंटित की जाने वाली भूमि.-इस अध्याय के अधीन केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रक्रम-II के भीतर-भीतर स्थित भूमि ही खुदकाशत के रूप में आबंटित की जायेगी।”।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।